न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 26 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. लाखाराम पुत्र आम्बाराम 2. हेमाराम पुत्र पुनमाराम जातियान जाट निवासी दरगुड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 3. शिवप्रकाश पुत्र फगलुराम जाति जाट निवासी जाखड़ो की ढाणी, भीमथल, तहसील धौरीमन्ना, जिला बाड़मेर	1. महेश चौधरी पुत्र थानाराम 2. अनाराम पुत्र खेमाराम 3. कंवराराम पुत्र खेमाराम 4. खेतुदेवी पत्नी खेमाराम 5. उमाराम पुत्र आम्बाराम 6. जेठाराम पुत्र आम्बाराम 7. प्रभूराम पुत्र आम्बाराम 8. दकीदेवी पुत्री आम्बाराम 9. रामूदेवी पुत्री आम्बाराम 10. दीपाराम पुत्र सवाराम 11. प्रहलादराम पुत्र सवाराम जातियान जाट निवासी दरगुड़ा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 12. शाखा प्रबन्धक, एस. बी.आई. शाखा सिणधरी 13. श्रीमान तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 01 / 2022 बउनवान महेश चौधरी बनाम अनाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06.02.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री जोगराज पोटलिया अपीलान्ट की ओर से।
2. उत्तरदातागण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—28.05.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी तहसील सिणधरी के मौजा दरगुड़ा में खसरा संख्या 105 रकबा 19.6992 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त समस्त आराजी अपीलांटगण एवं उत्तरदातागण संख्या 01 से 11 का संयुक्त है, जिसमें अपीलांटगण का जमाबंदी में अंकित हिस्सा के अनुसार रकबा है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ही पक्षकारान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस बाबत हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित मौका दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहामी बंटवारे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया, बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सिणधरी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार सिणधरी द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरीत तैयार किया गया, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार सिणधरी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांटगण की आवासीय ढाणी जो वर्षों से बनी हुई है वह ढाणी वाला भाग वादी के हिस्से में देकर भारी भूल की है। अपीलाधीन आराजी अपीलांटगण की पैतृक है और उत्तरदातागण संख्या 01 उक्त भूमि के खरीदशुदा खातेदार है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम सम्मन भिजवाये गये जो विधिवत तामील करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई उसे बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 06.02.2024 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांटस द्वारा हस्तगत वाद एवं अपील के साथ ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया जिसके अनुसार अपीलांटस जोत का बंटवारा चाहता हो। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सद्भावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार सिणधरी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 01/2022 बउनवान महेश चौधरी बनाम अनाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 06.02.2024 को यथावत रखा जाता है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर